



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21763 वर्ष 2025

प्रिंस उर्फ प्रशान्त

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कृष्ण कान्त दुबे, राकेश कुमार श्रीवास्तव, सन्तोष कुमार दुबे

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जिया उद्दीन, आयुष मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, योगेन्द्र मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के होल्डिंग ब्रीफ श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जिया उद्दीन, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 34 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अंकित उर्फ मोनू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21621 वर्ष 2025 में दिनांक 30.10.2025 को पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूंकि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, जिसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने



का अधिकारी है। आवेदक के इशारे पर एक सी.एम.पी. की बरामदगी को छोड़कर उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 26.01.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. जमानत की प्रार्थना का सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
7. आवेदक **प्रिंस उर्फ प्रशान्त**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

(रवि कान्त)

Translated Version. Not for Legal Use.